तारीख हुक्म	न्यायालय अति० जिला कलक्टर, दौसा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स प्र.स. 182/2015 सरमारV/S मूलचन्द	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-11-17	राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपार्थी मूलचन्द के पुत्र तुलसीराम ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि अपार्थी मूलचंद फौत हो चुका है मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करते हुए अवगत कराया। पत्रावली दिनांक 6-12-17 को पेश हो। अति० जिला कलक्टर दौसा	तुलसीराम S/ मूलचन्द मकावत
6-12-17	राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपार्थी मूलचन्द के पुत्र तुलसीराम द्वारा अपार्थी का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अपार्थी मूलचन्द पुत्र भीखा जाति कोली निवासी हीपावास के विरुद्ध रेफरेन्स प्रकरण दिनांक 29-9-15 को पेश किया गया है जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकितानुसार अपार्थी मूलचन्द की मृत्यु दिनांक 22-2-2013 को हो चुकी थी। मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण चलाये जाने का औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतन को रिमांड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपार्थी मूलचंद के कायम मुकामान की जांच कर समुचित राहत एवं वर्तमान जमाबंदी तथा जिला कलेक्टर आदेश के विरुद्ध रेफरेन्स किया जाना है की प्रमाणित प्रति व संबंधित दस्तावेजात सहित रेफरेन्स प्रकरण संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतन को निर्देशित करते प्रकरण के जल्द युगान धेक नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 6-12-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अति० जिला कलक्टर दौसा	तुलसीराम S/ मूलचन्द मकावत